WESTERN U.P. CHAMBER OF COMMERCE & INDUSTRY

MASIK PATRIKA

SEPTEMBER 2024

Address- WESTERN U.P. CHAMBER OF COMMERCE AND INDUSTRY

BOMBAY BAZAR, NEAR HANUMAN CHOWK, MEERUT CANTT- 250001 (U.P.) INDIA

Phone No. 0121- 2661238, 2661177; **Fax:** 0121-4346686

E-mail:wupcc@rediffmail.com **Website:**www.wupcc.org

- **Patron**
  Dr. Mahendra Kumar Modi
- **President**
  Dr. Ram Kumar Gupta
- **Sr. Vice President**
  Shri G.C. Sharma
- **Jr. Vice President**
  Shri Neel Kamal Puri, Muzaffarnagar
- **Secretary / Editor**
  Smt Sarita Agarwal

Patrika Committee

- **Chairman**
  Shri Rahul Das
- **Co-Chairman**
  Shri Sushil Jain
- **Members**
  Shri Manoj Kumar Gupta (Hapur)
  Shri Rakesh Kohli
  Shri Trilok Anand
  Shri Rajendra Singh
  Shri Atul Bhushan Gupta
- **Co-Editor**
  Mr. Prashant Kumar

INDEX

- सरकारी योजनाओं के ऋण समय पर दें बैंक: वित्तमंत्री
- पीएनबी ने कई सेवाओं के लिए शुल्क में बढ़ोतरी की
- ईपीएफओ से जुड़े पेंशनभोगी घर के पास स्थित शाखा से रकम निकाल सकेंगे
- अब कुछ घंटो में बैंक से क्लीयर हो जाएगा चेक
- करदाताओं को आसान भाषा में भेजें नोटिस
- आयकर विभाग ने इस तरह के मामलों को फिर से सत्यापन की प्रक्रिया में डाला
- नई आयकर प्रणाली में अब ज्यादा राशि बचेगी, इंडेक्सेशन भी बहाल
- श्रम विभाग के पोर्टल से जमा की जाएगी धनराशि
- जीएसटी: बिल प्रबंधन प्रणाली एक अक्टूबर से
- यूपी में कच्चे माल के 15 बैंक खोले जाएंगे
- The final project loan guidelines are likely to be announced in the next two to three months, a senior RBI official said
- RBI asks Fintechs to improve cross- border payment systems
- RBI increased UPI transaction limit from Rs 1 lakh to Rs 5 lakh
- Nipro PharmaPackaging is now Great Place to Work certified!!

सरकारी योजनाओं के ऋण समय पर दें बैंक: वित्तमंत्री

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सार्वजनिक क्षेत्र और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को सलाह दी है कि वह सरकार द्वारा संचालित योजनाओं से जुड़े लाभार्थियों को समय पर ऋण दें। इसके साथ ही जमा योजनाओं में पूंजी जुटाने के लिए ग्राहकों के बीच में जाएं और उन्हें समय पर बेहतर बैंकिंग सेवाएं मुहैया कराएं।

वित्त मंत्री कहा कि मौजूदा समय में ग्राहकों को बेहतर और सुविधा जनक सेवा मुहैया करानी होगी। बैंक यह सुनिश्चित कराएं कि सरकार द्वारा बजट में की गई घोषणाओं से जुड़े लाभार्थियों को ऋण समय पर मिले। सरकार ने एमएसएमई समेत पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना और पीएम विश्वकर्मा योजनाओं की घोषणा की है।

जमा जुटाने के लिए विशेष अभियान चलाएं: इसके साथ ही वित्त मंत्री ने बैंकों से विशेष अभियान चलाकर जमा जुटाने के लिए ठोस प्रयास करने को कहा। दरअसल, बीते कुछ महीनों में बैंकों के ऋण देने की प्रवृत्ति बढ़ी है लेकिन उसके सापेक्ष में बैंकों में जमा राशि में कमी आई है। इसको लेकर वित्त मंत्री ने सलाह दी कि वो अपनी डिपॉजिट (जमा) योजनाओं को आकर्षक बनाएं और ग्राहकों को बेहतर सेवाएं देकर उनके साथ तालमेल अच्छा रखे, जिससे ग्राहक बैंकों में पैसा जमा करने के लिए प्रोत्साहित हों।

SHUBHAM ORGANICS LIMITED

Mfrs. of:

Pharmaceuticals Industrial Chemicals,
Bulk Drugs & Drug Intermediates

Corporate Office & Works:
303-A, Industrial Area, Partapur
Meerut- 250103 (U.P.) India
Ph.: 91-121-2440711
Email: lionramkumar@gmail.com

Regd. Office:
204, M.J. Shopping Centre,
3, Veer Savarkar Block,
Shakarpur, Delhi-110092
Ph.: 91-11-22217636

धोखाधड़ी को रोकने के लिए मिलकर काम करें

साइबर ठगी को लेकर भी बैठक में चिंता जाहिर की गई। कहा गया कि इसे रोकने के लिए बैंक, सरकार, प्राधिकरण और सुरक्षा एजेंसी मिलकर काम करें। ग्राहकों को सुरक्षित बैंकिंग एवं वित्त सेवाएं मुहैया कराना भी हमारा दायित्व है, जिसके लिए इन सभी विभागों को बीच सकारात्मक दृष्टिकोण की जरूरत है। इसके लिए आईटी से जुड़े विभिन्न पहलुओं को लेकर नियमित तौर पर समीक्षा की जाए।

पीएनबी ने कई सेवाओं के लिए शुल्क में बढ़ोतरी की

पंजाब नेशनल बैंक से बचत खाते से जुड़ी कुछ सेवाओं के लिए लगने वाले शुल्क में बदलाव की घोषणा की है। इसमें न्यूनतम राशि बनाए रखना, डिमांड ड्राफ्ट जारी करना, चेक और लॉकर का किराया शुल्क शामिल हैं। नई दरें 1 अक्टूबर 2024 से प्रभावी होंगी।

यदि किसी भी बचत खाते में तय न्यूनतम रकम नहीं होती तो अब बैंक उस पर महीने के हिसाब से शुल्क लगाएगा। न्यूनतम राशि में अगर 50% की कमी रहती है तो ग्रामीण क्षेत्रों में 50 रूपये, अर्ध शहरी क्षेत्रों में 100 रूपये और अर्बन/मेट्रो में 150 रूपये का शुल्क लगेगा। यदि न्यूनतम राशि 50% से भी ज्यादा कम होती है तो ग्रामीण क्षेत्रों में 100 रूपये, अर्ध शहरी क्षेत्रों में 150 रूपये और शहरी/मेट्रो क्षेत्रों में 250 रूपये का शुल्क चुकाना होगा। वहीं, डीडी जारी करने पर कुल राशि का 0.40% शुल्क लिया जाएगा। यह न्यूनतम 50 और अधिकतम 15,000 रूपये होगा। चेक बाउंस होने पर 100 से 300 रूपये तक वसूले जाएंगे।

लॉकर किराया कितना

लॉकर के आकार और ग्रामीण तथा शहरों क्षेत्रों के आधार पर यह न्यूनतम शुल्क 1000 रूपये होगा। वहीं अधिकतम किराया बड़े लॉकर के लिए 10 हजार रूपये होगा।

ईपीएफओ से जुड़े पेंशनभोगी घर के पास स्थित शाखा से रकम निकाल सकेंगे

राहत: पेंशन सत्यापन के लिए बैंकों के चक्कर नहीं काटने होंगे

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) द्वारा लागू होने जा रही केंद्रीकृत पेंशन भुगतान प्रणाली (सीपीपीएस) का फायदा उन पेंशनधारकों को होगा, जो सेवानिवृत्ति के बाद अपने गृहनगर चले जाते हैं।

नई व्यवस्था में अब पेंशनभोगियों को पेंशन शुरू होने के समय सत्यापन के लिए अलग-अलग बैंक शाखाओं में जाने की जरूरत नहीं होगी। पेंशन भुगतान आदेश (पीपीओ) जारी होने के बाद पेंशन घर के पास स्थित बैंक से शुरू कराई जा सकेगी।

मौजूदा व्यवस्था में ईपीएफओ से संबंधित कर्मचारी के सेवानिवृत्त होने पर कर्मचारी पेंशन योजना- 1995 के तहत प्रति माह एक निर्धारित पेंशन दी जाती है। अब तक सेवानिवृत्त कर्मचारी को अपनी पेंशन निकासी के लिए उसे क्षेत्र से संबंधी बैंक शाखा में आना पड़ता है, जिस क्षेत्र से वह सेवानिवृत्त हुआ है।

दरअसल, ईपीएफओ को अलग-अलग क्षेत्रीय कार्यालयों में बांटा गया है। हर क्षेत्रीय कार्यालय के अंदर कुछ चुनिंदा (तीन या चार) बैंक शाखाएं ही पेंशन निकासी के लिए अधिकृत की जाती हैं, जिस कारण काफी लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। चूंकि, सेवानिवृत्त के बाद अधिकांश कर्मचारी अपने गांव या किसी दूसरे हिस्से में रहने लगते हैं, इसलिए उन्हें पेंशन निकासी के लिए चक्कर काटने पड़ते हैं।

आधार आधारित भुगतान प्रणाली भी आएगी

नई सुविधा एक जनवरी, 2025 से ईपीएफओ की चल रही सूचना प्रौद्योगिकी आधुनिकीकरण परियोजना केंद्रीकृत आईटी युक्त प्रणाली (सीआईटीईएस 2.01) के हिस्से के रूप में शुरू की जाएगी। अगले चरण में, सीपीपीएस आधार- आधारित भुगतान प्रणाली में एक सुचारु परिवर्तन लाएगी।

'मील का पत्थर'

केंद्रीय श्रम मंत्री डॉ. मनसुख मंडाविया ने कहा कि नई व्यवस्था ईपीएफओ के आधुनिकीकरण की दिशा में मील पत्थर है। यह लंबे समय से चली आ रही पेंशनधारकों की समस्याओं का समाधान करेगी।

पीपीओ को स्थानांतरित कराने की जरूरत नहीं होगी

नई व्यवस्था के आने पर पेंशनधारियों का पेंशन भुगतान आदेश (पीपीओ) को एक से दूसरे कार्यालय में स्थानांतरित करने की जरूरत नहीं हैं। मौजूदा वक्त में अगर कोई व्यक्ति सेवानिवृत्ति के बाद किसी दूसरे क्षेत्र में जाता है तो उसे उस क्षेत्रीय कार्यालय के लिए पीपीओ का स्थानांतरण कराना होता है। उसके बाद वह कार्यालय बैंक शाखा आवंटित करता है, जिससे पेंशन निकल सकते है। नई व्यवस्था में यह सारा झंझट खत्म होगा।

SARU COPPER ALLOY SEMIS PVT. LTD.

Manufacturer & Exporters of:

Continuous Cast Cold Drawn Copper Alloy Rods & Bars in Sizes upto 160 mm to all National and International Specifications in Standard Length of 3 mt.

Saru Nagar, Sardhana Road, Meerut- 250001
Ph. No.: 0121-2556279, 2554126, 2554160
Fax: 0121-2558402
Email: sales@sarucopper.com, info@sarocopper.com
Website: www.sarucopper.com

अब कुछ घंटो में बैंक से क्लीयर हो जाएगा चेक

अब बैंकों में कुछ घंटों में ही चेक क्लीयर हो जाएगा। अभी दूसरे बैंकों में चेक क्लीयर होने में दो कार्यदिवस का समय लग जाता है। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा कि अब चेक को स्कैन करके क्लीयरेंस के लिए भेजा जाएगा और कार्यदिवस के कुछ घंटों में चेक क्लीयर हो जाएगा। इस संबंध में आरबीआई जल्द ही विस्तृत निर्देश जारी करेगा। चेक क्लीयरेंस के लिए कोई शुल्क नहीं देना पड़ता है।

दास ने कहा कि आरबीआई यूपीआई भुगतान का दायरा बढ़ाना चाहता है। अब यूपीआई से पांच लाख तक के टैक्स का भुगतान किया जा सकेगा। अभी यूपीआई से एक लाख रुपए तक के टैक्स का ही भुगतान कर सकते हैं। इससे कारोबारियों को बड़ी राहत मिलेगी। इस संबंध में आवश्यक निर्देश बाद में जारी किए जाएंगे। अभी अधिकतर सेवाओं के लिए यूपीआई से भुगतान की सीमा एक लाख तक ही है।

15 दिनों में जेनरेट होंगे सिबिल स्कोर

अभी बैंक व अन्य वित्तीय संस्थाओं को कर्ज लेने वालों की क्रेडिट सूचना की जानकारी क्रेडिट इनफार्मेशन कंपनी को मासिक आधार पर देनी होती है। अब आरबीआई ने इस नियम में बदलाव करते हुए 15 दिनों पर क्रेडिट सूचना मुहैया करने का निर्देश दिया है। पहले किसी ग्राहक का सिबिल स्कोर प्रतिमाह जेनरेट होता था जो अब 15 दिन में होगा। इससे सटीक जानकारी रहेगी और बैंकों को कर्ज देने में अधिक आसानी होगी।

आरबीआइ ने नहीं बदला रेपो रेट, पहले की तरह रहेगी ईएमआइ

खाद्य वस्तुओं की बढ़ती महंगाई को देखते हुए आरबीआइ की मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) की बैठक में 4-2 के बहुमत से रेपो रेट को 6.5 प्रतिशत पर बरकरार रखने का फैसला किया गया। इस फैसले से सभी प्रकार के लोन की ब्याज दरें पहले की तरह रहने की संभावना है। यह लगातार नौवीं बार है जब एमपीसी की बैठक में रेपो रेट के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं की गई।

- यूपीआइ माध्यम से पांच लाख तक का कर सकेंगे टैक्स भुगतान
- चेक स्कैन करके क्लीयरेंस के लिए भेजा जाएगा, कोई शुल्क नहीं लगेगा
- 4 प्रतिशत से नीचे महंगाई दर को रखना चाहता है आरबीआइ

करदाताओं को आसान भाषा में भेजें नोटिस

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कर अधिकारियों से कहा कि वे करदाताओं को भेजे जाने वाले नोटिस या पत्रों में सरल शब्दों का इस्तेमाल करें और कानून की तरफ से दी गई शक्तियों का विवेकपूर्ण ढंग से उपयोग करें। 165वें आयकर दिवस पर यहां आयोजित एक समारोह में वित्त मंत्री ने कहा कि फेसलेस आकलन व्यवस्था लागू होने के बाद कर अधिकारियों को अब करदाताओं के साथ अधिक 'निष्पक्ष और मैत्रीपूर्ण' व्यवहार पर ध्यान देना चाहिए।

उन्होंने कहा कि कर नोटिस से करदाताओं के मन में 'डर की भावना' नहीं पैदा होनी चाहिए। नोटिस में करदाता को यह एकदम स्पष्ट कर देना चाहिए कि उसे किस कारण से नोटिस भेजा जा रहा है। इसके साथ ही सीतारमण ने कहा कि आयकर रिफंड तेजी से जारी करने में सुधार की गुंजाइश है। वित्त मंत्री ने करदाताओं के साथ व्यवहार में 'अनियमित तरीके' अपनाने से बचने का कर अधिकारियों से आग्रह करते हुए कहा कि उनकी कार्रवाई मुद्दे के अनुपात में ही होनी चाहिए। उन्होंने करदाताओं से यह भी कहा कि वे प्रवर्तन उपायों का उपयोग केवल अंतिम माध्यम के रूप में करें और विभाग का लक्ष्य स्वैच्छिक अनुपालन को बढ़ावा देने का होना चाहिए।

VK TYRE INDIA LIMITED

Manufacturers & Exporters of:

Automobile & Agriculture Tyres

Sybly Industrial Area, Pawanpuri,Muradnagar- 201206

Mob. No.: 9568129777, 7900200100

Email: info@vktyre.com

Website: www.vktyre.com

आयकर विभाग ने इस तरह के मामलों को फिर से सत्यापन की प्रक्रिया में डाला

पैन-आधार के पेच में अटक रहा रिफंड दावा

अगर आयकर रिटर्न दाखिल करने के काफी दिनों बाद भी रिफंड नहीं आया है तो आपको आयकर विभाग के ई-फाइलिंग पोर्टल पर जाकर रिफंड की स्थिति जांचनी होगी। साथ ही यह भी जांचें कि आपका पैन कार्ड आधार संख्या से लिंक है या नहीं। आयकर विभाग का कहना है कि काफी रिफंड दावे पैन-आधार लिंक न होने के कारण अटके हुए हैं। ऐसे में विभाग ने इन रिफंड दावों को सत्यापन की प्रक्रिया में डाल दिया है।

आयकर विभाग के एक अधिकारी ने बताया कि आयकरदाता ई-फाइलिंग पोर्टल पर सर्विस कॉलम में जाकर नाउ योर रिफंड पर क्लिक करके सारी स्थिति देख सकते हैं। अगर किसी तकनीकी कारण की वजह से रिफंड रुका हुआ है तो वो स्पष्ट तौर पर लिखा होगा। पैन को आधार से न जोड़ने और बैंक खाता अपडेट न होने जैसी कई वजहों के चलते रिफंड मिलने में देरी हो रही है। अगर पैन से आधार लिंक नहीं है तो पहले ऑनलाइन प्रक्रिया पूरी करनी होगी।

आ रही शिकायतें: इस बार रिफंड को लेकर काफी लोग शिकायतें कर रहे हैं। कुछ मामलों में रिटर्न भरने के एक से दो महीने बाद भी रिफंड नहीं मिला है। लोग सोशल मीडिया पर भी यह मुद्दा उठा रहे हैं। जानकार बताते हैं कि इसके पीछे पैन- आधार को सही समय पर लिंक न करना भी बड़ा कारण है। करदाता अब इसकी प्रक्रिया पूरी कर रहे हैं।

एक हज़ार रुपये का जुर्माना देना होगा

आयकर विभाग ने आधार से पैन को जोड़ने की समय-सीमा को कई बार आगे बढ़ाया था। अंतिम तिथि खत्म होने के बाद विभाग ने अब इस काम के लिए एक हजार रुपये का शुल्क तय किया है। मौजूदा समय में एक जुलाई 2017 से पहले जारी किए गए सभी पैन कार्ड को आधार से लिंक किया जाना जरूरी है। उसके बाद जारी पैन कार्ड को छूट के दायरे में रखा गया है।

रिफंड की स्थिति ऐसे जांचे

- आयकर विभाग के पोर्टल (www.incometax.gov.in) पर जाएं। यूजर आईडी (पैन संख्या) और पासवर्ड डालकर लॉगइन करें
- माई अकाउंट पर क्लिक करें और रिफंड/डिमांड स्टेटस को खोलें। यहां इनकम टैक्स रिटर्न्स को चुनें।
- अब पावती संख्या पर क्लिक करें। इसके बाद एक नया पेज खुलेगा, जहां आईटीआर से जुड़ी सारी जानकारी दिख जाएंगी।

विलंब होने पर क्या करें

1. सबसे पहले अपना ई-मेल जांचें। आयकर विभाग रिफंड या किसी तरह की कोई अतिरिक्त जानकारी अथवा नोटिस ई-मेल के जरिए भेजता है।
2. यदि आईटीआर स्थिति से पता चलता है कि रिफंड दावा खारिज हो गया है तो करदाता दोबारा रिफंड जारी करने के लिए अनुरोध कर सकते हैं।
3. यदि स्थिति में दावा लंबित है तो ई-फा इलिंग पोर्टल/आकलन अधिकारी से संपर्क कर इसके शीघ्र निपटारे के लिए अनुरोध कर सकते हैं।

फिर भी देरी हो तो....

1. आयकर विभाग से संपर्क करें:

करदाता विभाग की हेल्पलाइन 1800-103-4455 पर कॉल करके या उन्हें ask@incometax.gov.in पर ईमेल करके उनसे संपर्क कर सकते हैं।

2. स्थानीय आयकर कार्यालय जाएं:

यदि देरी जारी रहती है, तो रिफंड की स्थिति के बारे में सीधे पूछताछ करने के लिए स्थानीय आयकर कार्यालय जा सकते हैं। अपने साथ संबंधित जरूरी दस्तावेज अवश्य ले जाएं।

नई आयकर प्रणाली में अब ज्यादा राशि बचेगी, इंडेक्सेशन भी बहाल

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि नई कर प्रणाली में आयकर में अब लोगों के ज्यादा पैसे बचेंगे। सरकार ने बजट के जरिये मध्य वर्ग को राहत दी है। साथ ही, अब 23 जुलाई, 2024 से पहले खरीदी गई अचल संपत्ति को बेचने पर संपत्ति मालिक को दीर्घकालिक पूंजीगत लाभ कर में इंडेक्सेशन (महंगाई समायोजन) का फायदा मिलता रहेगा। संपत्ति मालिक पहले की तरह इंडेक्सेशन के साथ 20 फीसदी एलटीसीजी कर या बिना इंडेक्सेशन के 12.5 फीसदी कर चुकाने का विकल्प चुन सकेंगे।

लोकसभा ने 45 संशोधनों के साथ वित्त विधेयक-2 यानी 2024-25 के बजट को मंजूरी दे दी। वित्त मंत्री ने बजट पर चर्चा के जवाब में कहा, एलटीसीजी में किया बदलाव भी जनआकांक्षाओं का दर्शाता है। मध्य वर्ग को राहत देने के कदम गिनाते हुए कहा, नई प्रणाली में टैक्स स्लैब में बदलाव किया है। इससे सभी करदाताओं पर 37,500 रुपये कर के बोझ में कमी आई है। मानक कटौती को 50 हजार से 75 हजार रुपये किया गया है। परिवार पेंशन पर कटौती सीमा 15,000 से बढ़ाकर 30,000 रुपये की है। शेयर व प्रतिभूतियों में निवेश पर एलटीसीजी की छूट सीमा एक लाख से बढ़ाकर 1.25 लाख की गई है।

THE RUG REPUBLIC

Live Smart, Buy Right.

Kirti Nagar/Delhi: 2/5, WHS

(150m from Kirti Nagar Fire Station)

Noida: A-32, Sector 63

(Off Nh24, Opp. Indirapuram)

MG ROAD/DELHI: M.G. Road, Ghitorni (Pillar #128)

Live.smart@tfrhome.com / www.tfrhome.com

बीमा पर फैसला जीएसटी कॉउन्सिल करेगी

जीवन बीमा व स्वास्थ्य बीमा पर जीएसटी कम करने की मांग पर सरकार ने साफ़ किया कि सदन में यह फैसला नहीं हो सकता। जीएसटी कॉउन्सिल को ही यह निर्णय लेना होगा, जहां राज्यों को दो तिहाई प्रतिनिधित्व है। इस पर पेश संशोधन ख़ारिज करने के बाद विपक्षी सांसदों ने सदन से बहिर्गमन किया।

श्रम विभाग के पोर्टल से जमा की जाएगी धनराशि

श्रम विभाग के अन्तर्गत उपकर संग्रह पोर्टल के माध्यम से उपकर जमा किए जाने की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। सभी कार्यदायी संस्था, निर्माण एजेंसियां एवं निजी निर्माणकर्ता इस पोर्टल माध्यम से उपकर का भुगतान कर सकते हैं।

सहायक श्रमायुक्त अवधेश कुमार वर्मा ने बताया कि सभी भवन एंव अन्य सनिर्माण कार्यों के नियमानुसार उपगत व्यय व लागत की एक प्रतिशत की धनराशि उप्र भवन एंव अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड को भुगतान किए जाने की व्यवस्था है। जिसके अन्तर्गत निजी और सरकारी निर्माण सम्मिलित किए गए हैं।

धनराशि डेबिट कार्ड, केडिट कार्ड, चालान, इंटरनेट बैंकिंग, यूपीआई, वॉलेट आदि के द्वारा पोर्टल के माध्यम से बोर्ड के खाते में सीधे जमा की जा सकती है। विभागीय हेल्पलाइन नंबर 9125797729 या टोल फ्री नंबर 18001805412 पर जानकारी मिल जाएगी। जनपद मेरठ एंव बागपत में ऑनलाइन निर्माण कार्यो की लागत के सपेक्षा उपकर की 1 प्रतिशत धनराशि जमा की जा सकती है।

जीएसटी: बिल प्रबंधन प्रणाली एक अक्टूबर से

जीएसटी नेटवर्क एक अक्टूबर से बिल प्रबंधन प्रणाली (आईएमएस) शुरुआत करेगा। इसकी मदद से करदाता सही इनपुट टैक्स क्रेडिट (आईटीसी) का लाभ उठाने के लिए आपूर्तिकर्ताओं की तरफ से जारी रिकॉर्ड/बिलों का मिलान कर पाएंगे।

जीएसटी नेटवर्क ने माल एंव सेवा कर (जीएसटी) भुगतानकर्ताओं को जारी परामर्श में कहा, करदाता पोर्टल के माध्यम से अपने आपूर्तिकर्ताओं के साथ रिकॉर्ड/बिलों में सुधार/संशोधनों का कुशल प्रबंधन कर सकें, इसके लिए आईएमएस नाम की नई संचार सुविधा शुरू जा रही है। जीएसटी रिटर्न भरने और कर देनदारियों के भुगतान मंच के तौर पर जीएसटी नेटवर्क का इस्तेमाल होता है।

सभी कार्रवाइयों का रहेगा विस्तृत रिकॉर्ड: परामर्श फर्म मूर सिंघी के कार्रकारी निदेशक रजत मोहन ने कहा, चालान पर की गई सभी कार्रवाइयों का विस्तृत रिकॉर्ड रखने से आईएमएस जीएसटी ऑडिट के लिहाज से एक मजबूत आधार तैयार करता है। यह सुविधा कर अधिकारियों को आईटीसी दावों के प्रबंधन में प्राप्तकर्ता की उचित सावधानी का स्पष्ट सबूत देती है।

चालान स्वीकार-अस्वीकार की भी होगी अनुमति

जीएसटी नेटवर्क ने कहा, आईएमएस सुविधा से करदाताओं को सही आईटीसी का लाभ उठाने के लिए अपने आपूर्तिकर्ताओं की ओर से जारी किए गए रिकॉर्ड/बिल का मिलान करने में भी सुविधा होगी।यह सुविधा करदाताओं को चालान को स्वीकार या अस्वीकार करने या इसे प्रणाली में लंबित रखने की अनुमति देगी, जिसका लाभ बाद में उठाया जा सकता है।

यूपी में कच्चे माल के 15 बैंक खोले जाएंगे

उत्तर प्रदेश में उद्यमियों को आसानी से व अपेक्षाकृत सस्ते कच्चे माल की आपूर्ति हो सकेगी। प्रदेश में अभी सात जिलों में रा मटेरियल बैंक शुरू किए गए हैं। अब 15 जिलों में इस तरह के और बैंक खोले जाएंगे। इससे एमएसएमई सेक्टर को काफी बढ़ावा मिलेगा।

यूपी में कार्यरत उद्योगों को कच्चा माल आपूर्ति में तमाम मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। कच्चा माल भी अलग-अलग जगहों से लाना पड़ता है। इससे उत्पाद की लागत बढ़ती है। अभी किसी उत्पाद की लागत में केवल कच्चे माल की हिस्सेदारी 70 प्रतिशत है। ऐसे में कच्चे माल की लागत को स्थिर या कम कर उत्पाद की लागत कम की जा सकती है।

इसकी वजह यह है कि कच्चे माल की थोक मात्रा में खरीद होगी। रा मटेरियल बैंक माल की लागत स्थिर रखकर, एमएसएमई इकाइयों को माल आपूर्ति समय से सुनिशिचित करेंगे। यह आरएमबी केंद्र व राज्य सरकार की एजेसिंयों व निर्माताओं व उद्यमियों के साथ एक पार्टनरशिप विकसित करेंगे। मिर्जापुर में कारपेट, उन्नाव में जरी जरदोजी, सीतापुर में कारपेट, अम्बेडकरनगर में टेक्सटाइल, मैनपुरी में स्टोन कटिंग, लखनऊ में चिकनकारी व भदोही में कारपेट के निर्माण के लिए रा मटेरियल बैंक ने काम शुरू कर दिया है।

उन जिलों पर फोकस जो खास उत्पाद के लिए प्रसिद्ध

रा मटेरियल बैंक खोलने के लिए उन जिलों पर फोकस किया जाएगा। जहां किसी खास उत्पाद निर्माण के लिए मशहूर हैं और एमएसएमई उद्योग के बड़े केंद्र हैं।

एमएसएमई सेक्टर से निर्यात बढ़ाने के लिए यूपी सरकार इस दिशा में तेजी से काम कर रही है। अंतरराष्ट्रीय बाजार में एमएसएमई उत्पादों को बनाएं रखने के लिए जरुरी है कि गुणवत्ता, पैकेजिंग के साथ-साथ लागत भी नियंत्रित रखी जाए।

INDKRAFT EXPORTS

Manufacturers and Exporters of:

Indian Handicrafts, Silk, Woollen, Viscose, Cotton Shawls, Stoles, Pareos & Scarves

Bombay Bazar, Meerut Cantt- 250001
Phone: 0121-2664103, 4034103, 4322020
Fax: 91-121-2660063
Mobile: 9536202020
E-mail: info@indkrafts.com

The Final project loan guidelines are likely to be announced in the next two to three months, a senior RBI official said

The norms regarding the Expected Credit Loss (ECL)-based provisioning are in an advanced stage of discussion, the official told reporters here.
The Reserve Bank of India has proposed to set aside 5 per cent of the total exposure to a project till the construction of the project is on.
Fearing a hit to profits, banks have been asking for a relook into it, as per reports.
The RBI official said up to 60 responses have been received on the project loans draft, and the central bank is going through all the suggestions.
When asked about the timelines by when the final guidelines will come in, the official said it will take "at least 2-3 months", but did not give a specific answer on whether the guidelines will be implemented from April 1 next year onwards.
To a question on the ECL framework, the official said the norms are in the "advance stages" of discussion.
The official admitted that there is an "overlap" on both the ECL and project finance norms, but seemed non-committal on whether both the guidelines will come in together.
These are two concurrent streams running together, the official said, assuring that the intent of the RBI is to be non-disruptive and take into account all the impact of the guidelines before finalising.
Meanwhile, on reports of higher delinquencies in microloans, the official said there is no systemic risk and entry-specific concerns are discussed bilaterally as part of the supervisory framework.
If some regulatory interventions are required, they are also initiated, the official said, citing the November 2023 regulations hiking risk weights on unsecured lending.
There is "nothing on the table" right now on the MFI sector, the official added.
If any action is taken, it will be for the entire sector and not entity-specific, the official clarified.
Speaking at the annual GFF here, RBI's chief general manager Vaibhav Chaturvedi asked financiers to be more "responsible" while engaging in their core lending activities and the industry to take steps towards this aim.
The offerings need to be transparent and the regulated entities' dealings need to be fair, he underlined.
At the same conference, Indira Gandhi Institute of Development Research professor Ashima Goyal said the credit deposit ratios in India are much lower than in other countries and the government borrows a lot of resources.

RBI asks Fintechs to improve cross- border payment systems

RBI deputy governor T Rabi Sankar said that fintech self-regulatory organisations should work to remove inefficiencies in the system, particularly in cross-border payments, and bring about the same efficiencies as domestic payments. Charting the roadmap for SROs, the first of which was registered, Sankar said that they should prepare the sector to demonstrate the same level of responsibility as traditional banks and finance companies as the sector matures.

SROs have also been asked to ensure fair pricing and check the practice of 'dark patterns' - deceptive tactics in software to manipulate users into making unintended decisions.

Speaking at the Global Fintech Fest here, Sankar said that the 'India model of digitization' was to create digital public infrastructure in the public sector and allow for innovation and product creation in the private sector to make it widely available. P Vasudevan, executive director of RBI, said that UPI was being internationalized so that the same app could be used in different countries. "We are trying to make our SFMS (structured financial messaging system) global. The volume that SWIFT processes for cross-border transactions is much lower than that of SFMS. We are also considering making our INFINET (Indian Financial Network) available for others," said Vasudevan. "So it will ultimately be a technology stack that we are trying to offer. We will be very happy to ring-fence ourselves from whatever happens elsewhere, when we have this tech available," said Vasudevan. He added that the intention was to hold the GFF in other countries in future.

RBI increased UPI transaction limit from Rs 1 lakh to Rs 5 lakh

In a latest move to facilitate higher payments through UPI, the RBI proposes to increase the per transaction limit under the payment system from Rs 1 lakh to Rs 5 lakh.

According to the RBI, the increased limit will further ease tax payments by consumers through UPI.

In another proposal, the RBI plans to allow delegated payments through the UPI to further deepen the reach and usage of digital payments.

“This would enable an individual to allow another individual to make UPI transactions up to a limit from the primary user’s bank account without the need for the secondary

user to have a separate bank account linked to UPI," said the RBI in a statement while announcing its Monetary Policy on Thursday.

In a couple of more user/borrower-centric announcements, the banking regulator has proposed a public repository of digital lending apps deployed by its regulated entities like banks and financial institutions. The move aims to curb the problems arising from unauthorised digital lending apps.

Banks and financial institutions will report and update information about their lending apps in this repository. This measure will help consumers to identify unauthorised lending apps.

In yet another announcement, the RBI has proposed to increase the frequency of reporting of credit information by lenders to credit information companies to a fortnightly basis or at shorter intervals.

At present, lenders are required to report credit information to CICs monthly or at such shorter intervals as may be agreed between the lenders and the CICs.

"Consequently, borrowers will benefit from faster updation of their credit information, especially when they repay their loans. The lenders, on their part, will be able to make better risk assessment of borrowers," says the RBI.

INDRA BRICK WORKS

Manufacturers of:
MOHAN BRAND Quality Bricks and Tiles

KARTAR SINGH & SONS
Warehouses Unit's

Office:
6-B, Shambhu Nagar, Baghpat Road,
Meerut City-250002
Phone: 0121-4002210
Email: rajinder_2068@yahoo.com

Works:
Malyana Before Bypass,
Baghpat Road,
Opp. Delhi Public School
Meerut City

Nipro PharmaPackaging is now Great Place to Work certified!!

Nipro PharmaPackaging India is part of Nipro Corporation Japan. Nipro, a global healthcare company employs over 35k colleagues and has a culture of high performance, customer focus, and employee engagement. This has led Nipro PharmaPackaging India to being awarded with the certificate of the Great Place to Work – Oct' 22 – Oct'23. In addition to the above achievement, Nipro PharmaPackaging India has now earned its recognition as being one of the top 50 "India's Best Workplaces in Manufacturing 2023".

Ashish Moghe, the Managing Director of Nipro in India, states, "Nipro's dedication to investing in its workforce is a key factor in its success. In 2022, Nipro PharmaPackaging India gathered further pace in the last year and crossed a few milestones. One such milestone was getting certified as a Great Place To Work! The Great Place to Work® Certification Program is the first step for an organization on its journey of building a High-Trust, High-Performance Culture™ and our organization has successfully accomplished this milestone.

To continue the same path of progress and development for us as individuals and as an organization we also enrolled ourselves for assessment for yet another prestigious certification, which is TOP 50India's Best Workplaces in Manufacturing 2023. This year, 201 organizations in the Manufacturing sector undertook this assessment. All these organizations underwent a rigorous assessment. The results are finally out, and it gives me an immense amount of joy and pride to share that both plants of Nipro PharmaPackaging India (Meerut & Pune) HAVE WON THIS CERTIFICATION!!

I feel honoured to be a part of such a fantastic team. Looking forward to creating many more milestones"

"We are thrilled to receive the recognition as India's Best Workplaces in Manufacturing 2023. We are committed to fostering an environment of transparency, teamwork, and participation. Our organization promotes bonding among colleagues and encourages continuous improvement.Our team takes pride in working for a Great Place to Work certified company, and this recognition not only attracts top talent but also builds loyalty among our employees. The Trust Index study conducted by Great Place to Work provides valuable insights for us to improve as an organization. We strive to be an employer of choice and this recognition is a testament to our efforts.", states Mr. Juned Akhtar(General Manager- Human Resource, Nipro PharmaPackaging India Pvt. Ltd.

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन
Employees Provident Fund Organisation
(सरकार भारत ,श्रम एवं रोजगार मंत्रालय)
Ministry of Labour & Employment, Govt. of India
क्षेत्रीय कार्यालय - ,निधि भवन ,विद्युत मार्ग, ज्योति नगर, जयपुर 302005
Regional Office, Nidhi Bhawan, Vidhyut Marg, Jyoti Nagar, Jaipur-302005
Website: www.epfindia.gov.in | Email: ro.jaipur@epfindia.gov.in | Tel: 0141-2740742

No. Temporary arrangement/Adm-I/ 370 Date:- 04/09/2024

कार्यालय आदेश

विदित हो कि वर्तमान में नियोक्ता **login** में कार्य हेतु पासवर्ड के साथ साथ मोबाइल **OTP** की अनिवार्यता कर दी गई है जिस कारण कार्यालय में अत्यधिक संख्या में पासवर्ड रीसेट के पत्र प्राप्त हो रहे हैं। यदि इन पत्रों पर समयबद्ध कार्यवाही नहीं की जाती है तो नियोक्ता **ECR submit** करने में असमर्थ होगा जिसके लिए नियोक्ता द्वारा कार्यालय को **Responsible** बनाया जा सकता है और क़ानूनी विवाद भी उत्पन्न कर सकता है|

अतः लेखा शाखा में पदस्थापित समस्त लिपिक एवं शाखा पर्यवेक्षक को निर्देशित किया जाता है कि **EDP** शाखा द्वारा प्राप्त नियोक्ता के **login password** रीसेट के पत्र पर तुरंत कार्यवाही कर, पत्र को उसी दिन अथवा अगले कार्यदिवस तक **EDP** शाखा को पुनः भेजना सुनिश्चित करें।

(परितोष कुमार)
क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त-प्रथम

प्रति:-
सभी सम्बंधित

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX